उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या – 23/2013

लच्छु महतो वगै0 बनाम् शौकत अली अंसारी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
13-09-2017	<u>आदेश</u> उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि आवेदक लच्छु महतो वगै0 पिता स्व0 नरेश महतो, ग्राम पोटमदागा थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता रामगढ़ में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 05./2010–11 में दिनांक 14.12.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या 23/2013 दायर किया गया है। दायर रिविजन वाद में प्रश्नगत् भूमि से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत में CIVIL APPEAL N.- 9401 OF 2016 @ SLP (C) N.- 2793 OF 2016 लंबित है। उक्त परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकुल है। अतः बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद के कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 13/9/17 उपायुक्त, रामगढ़। 13/9/17 उपायुक्त, रामगढ़।	665/विविध 11/10/17